प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.03.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की ओमनी वैन बरामद।

दिनांक 21.03.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाड़ी (वैन) को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 23.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त फैजान पुत्र नब्बू खान निवासी डीएसएल एडीए कॉलोनी 105 ईदगाह रोड शाहजमाल कोल जनपद अलीगढ, उम्र करीब 38 वर्ष को लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की ओमनी वैन बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने मौका पाकर यह गाड़ी कुछ दिन पहले लोनी क्षेत्र से चोरी कर ली थी जिसे मैं बेचने के लिए निकला था कि पुलिस चेंकिग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान पुत्र नब्बू खान निवासी डीएसएल एडीए कॉलोनी ईदगाह रोड शाहजमाल 105 कोल जनपद अलीगढ, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की ओमनी वैन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 23.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रिछपाल गढी की पुलिया से अभियुक्त आजाद सिंह पुत्र जयन्त चौधरी निवासी ग्राम गंगावास पहाडा थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर हाल पता सूर्या हाईट्स चिपियाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/317(5)/318(2)/238/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने वर्ष 2023 में एक मोटरसाइकिल फाइनेन्स पर खरीदी थी जिसकी समय से किस्त न चुकाने के कारण फाइनेन्स कम्पनी द्वारा मुझसे मोटरसाइकिल ले ली थी। उसके बाद मैंने एक मोटरसाइकिल थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर क्षेत्र से चोरी कर उसकी नम्बर प्लेट को तोड कर फेंक दिया तथा अपनी पहले वाली मोटरसाइकिल के नम्बर की नम्बर प्लेट को लगा लिया था उक्त चोरी की मोटरसाइकिल को चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुझसे बरामद कर लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आजाद सिंह पुत्र जयन्त चौधरी निवासी ग्राम गंगावास पहाडा थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर हाल पता सूर्या हाईट्स चिपियाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष। **बरामदगी का विवरण-**

थाना जहांगीराबाद (जनपद बुलन्दशहर) क्षेत्र से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना वेवसिटी पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 23.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर प्राप्त हुई कि दिनांक 22.03.2025 को 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. रिंकू उर्फ भूपेन्द्र पुत्र अनिल निवासी क्रिश्चयन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद 2. अर्जुन पुत्र सुरेश निवासी अम्बेडकर पार्क के सामने वाली गली इन्दर कॉलोनी क्रिश्चयन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को चित्रावन सोसायटी के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छीना गया 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोबाइल हमने मौका पाकर एक राह चलते व्यक्ति से छीन लिया था तथा जो मोटरसाइकिल हमसे बरामद हुई है इसी मोटरसाइकिल से हमने इस घटना को अंजाम दिया था ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -</u>

1.रिंकू उर्फ भूपेन्द्र पुत्र अनिल निवासी चर्च के पास क्रिश्चयन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष ।

2.अर्जुन पुत्र सुरेश निवासी अम्बेडकर पार्क के सामने वाली गली इंदर कालोनी क्रिश्चयन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष ।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

छीना गया 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त रिंकू उर्फ भूपेन्द्र के विरुद्ध थाना विजयनगर पर अवैध अस्लाह से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना सेक्टर-49 गौतमबुद्धनगर पर चोरी व अवैध अस्लाह से सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर पर अवैध अस्लाह से सम्बन्धित 01 अभियोग, लूट व चोरी के 02 अभियोग व हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोटरसाइकिल कटी हुई (सामान) व 01 कटर ग्रेन्डर बरामद ।

आज दिनांक 24.03.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.मौहम्मद साद पुत्र मौहम्मद इकलाख निवासी मुगल गॉर्डन थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष 2.महरान पुत्र मेहरवान निवासी मुगल गॉर्डन थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोटरसाइकिल कटी हुई (सामान) व 01 कटर ग्रेन्डर बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों लोग मौका पाकर वाहनों को चोरी कर लेते हैं। हमने 01 मोटरसाइकिल को नासिर फैक्ट्री के बाहर थाना मसूरी गाजियाबाद एवं 02 मोटरसाइकिल थाना सिहानीगेट गाजियाबाद से चोरी की थी। चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल को हमने बेचने के लिए अलग-अलग पुर्जों में काट लिया था। आज हम इन्हैं बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.मौहम्मद साद पुत्र मौहम्मद इकलाख निवासी मुगल गॉर्डन थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष
2.महरान पुत्र मेहरवान निवासी मुगल गॉर्डन थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना मसूरी पर वाहन चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा थाना सिहानीगेट पर वाहन चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोटरसाइकिल कटी हुई (सामान) व 01 कटर ग्रेन्डर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर जीरो FIR के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पीडिता के साथ अभियुक्त संजय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी सेक्टर-11 विजनयगर गाजियाबाद द्वारा छेडछाड की घटना कारित की गयी उक्त सम्बन्ध में थाना क्रॉसिग रिपब्लिक पर धारा 75 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के धारा 180/183 बीएनएसएस के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त प्रकाश सोनी उर्फ निखिल पुत्र फतेह सोनी निवासी तिगरी चिपियाना खुर्द थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर तथा 01 अन्य अभियुक्त नरेन्द्र नागर का नाम भी प्रकाश में

आये एवं घटना पुरानी होने के कारण उपरोक्त अभियोग में धारा 376 व 376डी भादवि की वृद्धि की गयी।

दिनांक 24.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रकाश सोनी उर्फ निखिल पुत्र फतेह सोनी निवासी तिगरी चिपियाना खुर्द थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं पीडिता को वर्ष 2020 से जानता हूँ। हम दोनों एक ही सोसायटी में काम करते थे। धीरे धीरे मेरी पीडिता से बात होने लगी तथा मैंने पीडिता को अपने दोस्त के साथ घूमने के बहाने से गाडी में बैठा लिया था और उसके साथ हमने मिलकर दुष्कर्म किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

प्रकाश सोनी उर्फ निखिल पुत्र फतेह सोनी निवासी तिगरी चिपियाना खुर्द थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 32 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की भिन्न-भिन्न कम्पनी की 10 मोटरसाइकिल के कटे हुए चैसिस व अन्य पुर्जे बरामद।

आज दिनांक 24.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा दिल्ली सहारनपुर रोड पर चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभयुक्तगण 1. शावेज पुत्र आबाद निवासी इकराम नगर सुनहरी मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष 2. सुहेल पुत्र लियाकत अली निवासी इकराम नगर जामा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की भिन्न-भिन्न कम्पनी की 10 मोटरसाइकिल के कटे हुए चैसिस व अन्य पुर्जे बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण—</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दिल्ली/लोनी क्षेत्र फैक्ट्री एरिया में रैकी करके मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं तथा उन्हें एक स्थान पर जमा कर लेते थे। जब कोई ग्राहक मिल जाता है उसे सस्ते दामों में बेच देते हैं। हम चोरी किये गये वाहनों के कुछ हिस्से-पुर्जे अलग करके कबाड में बेच देते हैं। हमें जो पैसा मिलता है उसे आपस में बाँट कर अपना शौक पूरा करते हैं। आज हम इन्हें बेचने के लिए मुस्तफाबाद दिल्ली ले जा रहे थे कि आपने हमें पकड लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1.शावेज पुत्र आबाद निवासी इकराम नगर सुनहरी मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

2.सुहेल पुत्र लियाकत अली निवासी इकराम नगर जामा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उक्त चोरी/ बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दिल्ली में वाहन चोरी के 08 अभियोग तथा थाना लोनी पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता -</u>

1. ट्रक चालक नाम पता अज्ञात।
2. कबाडी आदिल पुत्र आबाद निवासी इकराम नगर लोनी थाना लोनी।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

कब्जे से चोरी की भिन्न-भिन्न कम्पनी की 10 मोटरसाइकिल के कटे हुए चैसिस व अन्य पुर्जे बरामद।

<u>गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –</u>

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।